बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486, **Web:** www.bstdc.bih.nic.in **E-mail:** contactbstdc@gmail.com

सं0 सं0–03/41/H&C/Esstt./13–14/1496/20 दिनांक– 02.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, निम्न परिसम्पत्ती को अनुज्ञप्ति के आधार पर पाँच वर्षों की अवधि के लिये संचालन कराना चाहती है। जिसके लिए संबंधित क्षेत्र के Proprietorship Firm/ Partnership firm/Registered Society/ Others अनुभवी से Technical Bid और Financial Bid (Two-bid system) के आधार पर ''जहाँ है, जैसा है'', (As is where is) की स्थिति में निविदा आमंत्रित करती है।

क्र	सम्पत्तियों का नाम	अग्रधन की राशि (Refundable)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (Non-refundable)
1	**आकाशीय रज्जु पथ, राजगीर अवस्थित वाहन पार्किग एवं शौचालय ब्लॉक**	50,000.00	1,000.00

2. **उक्त परिसम्पत्ति 5 (पाँच) वर्षो के लिए आवंटित की जायेगी।**

3. दिनांक–23.12.2020 के 2:30 बजे अपराह्न तक होटल कौटिल्य विहार, पटना के स्वागतक कक्ष में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि होगी, तथा उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न निविदा निगम मुख्यालय में खोली जायेगी।

4. निविदा प्रपत्र की राशि एवं अग्रधन की राशि (डी०डी०) बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नामे भुगतेय होगी। बिना निविदा प्रपत्र की राशि एवं अग्रधन की राशि के प्राप्त निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य होगा।

5. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक यदि निविदादाता के पास BSTDC का बकाया राशि देय है तो, निविदादाता को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

6. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को निविदा के किसी शर्त्त को शिथिल करने/निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। यह निविदा सूचना एवं नियमावली निगम के बेवसाईट www.bstdc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु श्री रत्नेश कुमार, प्रबन्धक (होटल एवं लीज) ब्वदजंबज कमजंपस छव. 8544418256 से सर्म्पक कर सकते हैं।

ह0/–
प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लि०, पटना

अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन हेतु टेन्डर नियमावली

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 के द्वारा अनुज्ञप्ति के आधार पर पाँच वर्षों की अवधि के लिये संचालन हेतु ''जैसा है जहाँ है'' (As is where is) के आधार पर दो लिफाफे, जिसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म से Technical Bid और Financial Bid (Two-bid system) में अनुमोदित निविदा प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र	सम्पत्तियों का नाम	अग्रधन की राशि (Refundable)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (Non-refundable)
1	**आकाशीय रज्जु पथ, राजगीर अवस्थित वाहन पार्किंग एवं शौचालय ब्लॉक**	50,000.00	1,000.00

अग्रधन की राशि : निविदादाता को अपने निविदा कागजात के साथ उपरोक्त वर्णित अग्रधन राशि (Earnest Money) का Demand Draft जो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, को भुगतेय की प्रति संलग्न करते हुए Credential से सम्बन्धित कागजात लिफाफा न0–I में भरा जायेगा एवं द्वितीय लिफाफे में निविदा नियमावली में निर्धारित वित्तिय प्रपत्र–II (Financial Bid) को भरते हुए प्रस्तावित दर अंकित कर इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में डालकर अंतिम तिथि दिनांक–**23.12.2020** समय 2:30 बजे अपराह्न तक निगम मुख्यालय में जमा किया जाना है। अग्रधन की राशि ''बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना'' के नाम भुगतेय जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त निविदा प्रथम द्रष्टया अमान्य होगा।

सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रथम वर्ष की अनुज्ञप्ति की पूरी राशि (अग्रधन के रूप में जमा राशि के समायोजनोपरान्त) एक मुस्त जमा किया जाना होगा। साथ ही अगले वर्ष की लाइसेंस राशि के समतुल्य राशि (for 1 year) (NSC/FD) Security deposit के तौर पर जमा करना होगा। असफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि निविदा निस्पादन के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। प्राप्त निविदा के किसी शर्त्त को शिथिल करने, निविदा के अंश भाग/सम्पूर्ण भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित है।

अनुमोदित निविदा प्रपत्र : निविदा नियमावली इसके अन्य शर्त्तें निगम के बेवसाईट **www.bstdc.bih.nic.in** से Download किया जायेगा एवं ₹ 1,000.00 का D.D. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नामे निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

ऑफरकर्त्ता आवश्यक समझें तो उक्त परिसर का निरीक्षण के पश्चात् अपना ऑफर निर्धारित तिथि के अन्दर दे सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में यदि किसी बिन्दु पर Clarification आवश्यक समझा जाता है, तो निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान : बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना

सभी कागजातों सहित निविदा जमा करने की तिथि–23.12.2020 *समयः 2:30 बजे*

निविदा खोलने की तिथि : दिनांक–23.12.2020 *समय 3:00 बजे*

निविदा खोलने का स्थल : बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, बीरचन्द पटेल पथ, पटना

निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया :–

लिफाफा संख्या– I : निविदादाताओं के लिए लिफाफा सं०–1 में निम्नांकित क्रेडेंशियल्स देना अनिवार्य हैः–

1. EMD एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य
2. Proprietorship Firm/ Registered Society/ Individual & Others से सम्बन्धित कागजात।
3. आवेदक की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु मूल्यांकन प्रमाण पत्र।
4. पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. संबंधित (पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
6. आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा आधार कार्ड/राशन कार्ड/चुनाव आयोग का पहचान पत्र/विद्युत विपत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की छायाप्रति)।
7. विगत तीन वर्षों का अद्यतन आय–कर रिटर्न जमा की छायाप्रति

जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सचर–'क' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के ऊपर निविदा कार्य तथा लिफाफा सं0–I को लिखा जाना अनिवार्य है। अग्रधन की राशि लिफाफा नम्बर–I में दिया जाना है। *लिफाफा सं0–* II में निविदादाताओं को दर भरा जाना है। जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सर–'ख' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के ऊपर निविदा कार्य तथा लिफाफा सं0–II को लिखा जाना अनिवार्य है। दोनों ही लिफाफे को एक तीसरे एवं बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर डाले जायेंगे।

निविदा की अन्य सामान्य शर्ते :

1. परिसम्पत्ति यथावत् स्थिति में आवंटित किया जायेगा तथा वापसी के समय जिस स्थिति में उन्हें आवंटित किया गया है उसी स्थिति में वापस किया जाना है।
2. इस परिसम्पत्ति के संचालन के निमित्त आवश्यक फर्निचर, उपस्कर इत्यादी निविदादाता द्वारा किया जायेगा एवं आवंटन के समाप्ति के पश्चात् वैधानिक सभी राशि एवं यदि कोई बकाया राशि हो तो उसके भुगतान के पश्चात् जमानत की शेष राशि वापस ले जाया जायेगा।
3. यदि लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि में सुव्यवस्थित ढंग से कार्यों का निष्पादन नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा :–

   क लाइसेंसधारी का लाइसेंस बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रद्द कर देगा।

   ख. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जमा गारंटी राशि को जब्त कर लेगा।
4. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस की राशि जो प्रथम वर्ष की राशि का 10% (दस प्रतिशत) अधिक राशि होगा। प्रथम वर्ष की लाइसेंस अवधि की समाप्ति के पूर्व लाइसेंस की तिथि तक जमा किया जायेगा। इसी प्रकार तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष/पंचम वर्ष हेतु प्रथम वर्ष की लाइसेंस राशि पर 20%, 30% एवं 40% अधिक राशि होगा। प्रथम वर्ष के लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान करने पर 2.50% प्रतिमाह की दर से उक्त निर्धारित तिथि से ही बिलम्ब शुल्क लगेगा एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तो के उल्लंघन को लेकर इस अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के अनुरूप अन्य कार्रवाई की जायेगी।
5. वर्णित सम्पत्ति का लाइसेंस नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा के लिए **5 (पाँच) वर्षों** के लिए किया जायेगा।

   5.1 सफल निविदादाता को निर्धारित लाइसेंस की पूरी राशि आवंटन पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर एक मुश्त भुगतान करेंगे।
6. यदि लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि में लाइसेंस की राशि का भुगतान बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0, पटना को नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा :–

   क. लाइसेंसधारी का लाइसेंस बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रद्द कर देगा।

   ख. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर लेगा।

   ग. प्रथम पक्ष अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात् लाइसेंसधारी को ब्लैकलिस्ट कर देगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जायेगा।

7. लाइसेंसधारी आवंटित स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी/प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे एवं परिसर का उपयोग सिर्फ पर्यटन व्यवसाय हेतु करेंगे जिस कार्य के लिये उन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द कर नहीं रखेंगे।
8. निगम द्वारा निर्धारित जगह को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में लाइसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार–पटल नहीं रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा किया जायेगा।
9. परिसम्पत्ति के परिसर एवं इसके आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे।
10. **आकाशीय रज्जु पथ राजगीर उपरी एवं निचली परिसर एवं शौचालय के प्रत्येक दिन की सफाई एवं शौचालय में पानी की व्यवस्था लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी। शौचालय में पर्यटकों से लिए जाने वाला अधिकतम शुल्क भारतीय पर्यटक हेतु युरिनल– ₹ 2/– (दो) शौच– ₹ 5/– (पाँच) होगा एवं विदेशी पर्यटक हेतु युरिनल– ₹ 5/– (पाँच) शौच– ₹ 15/– (पंद्रह) होगा।**
11. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति आदि को सफाई–स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं पर्यटकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।**
12. **भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर पंचायत द्वारा लगाया होल्डिंग टैक्स या किसी भी प्रकार का कर का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। डिफाल्ट की स्थिति में जमानत की राशि जब्त करते हुये लाइसेंस रद्द कर प्रभार प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित बकाया राशि वसुली की कारवाई की जायेगी।**
13. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख–रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।
14. लाइसेंसधारी द्वारा किसी प्रकार का एडिशन/अल्ट्रेशन निगम की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
15. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में किसी प्रकार की असावधानी के कारण हुये क्षति की भरपाई एक सामान्य समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा अन्यथा इस कार्य को निगम द्वारा किया जायेगा एवं किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति लाइसेंसधारी से 10% सूद के साथ की जायेगी। इस प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु लाइसेंसधारी द्वारा बीमा कराया जा सकता है, जिसके प्रीमियम की राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी।
16. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटित कार्य की पूर्ण या आंशिक कार्य को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
17. प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लाइसेंसधारी द्वारा चलाये जा रहे परिसम्पत्ति आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।
18. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन के एक माह के भीतर अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से अपने नाम विद्युत मीटर की व्यवस्था कर ली जायेगी एवं विपत्रों के भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंसकर्त्ता को उसकी सूचना देंगे। साथ ही जलापूर्ति की भी व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगें।
19. लाइसेंसधारी से किसी प्रकार का बकाया ''बिहार एवं उड़ीसा'' पब्लिक डिमाण्ड रिकॉवरी एक्ट के प्रावधानों के तहत सर्टिफिकेट केस के माध्यम से वसूल करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
20. लाइसेंस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आवंटित कार्य आदि को उसी अवस्था में सुर्पुद करेंगे, जिस अवस्था में दिया गया था। किसी प्रकार का एडिशन एवं अल्ट्रेशन आदि प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाना है।
21. लाइसेंसधारी के द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में आवंटित कार्य का संचालन नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् खाली किये जाने वाले अवधि तक पेनाल्टी के रूप में लाइसेंस फीस के 10 गुणा राशि लाइसेंसकर्त्ता को जमा कराना होगा।
22. लाइसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्त्तों के उल्लंघन के अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया, आदि का संचालन हेतु लाइसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजायाफ्ता होने की जानकारी मिलने पर,

लाइसेंसकर्त्ता के द्वारा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा सारी राशि जब्त कर ली जायेगी।

23. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्युटी का खर्च वहन किया जायेगा।
24. आवंटन तिथि की गणना, आवंटन–पत्र निर्गत की तिथि से की जायेगी एवं सारी वांछित राशि प्राप्त होने पर उक्त सम्पत्ति का प्रभार संचालन हेतु सौंपा जायेगा।
25. आवंटन प्रपत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार राशि जमा नहीं की जाती है तो आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।
26. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदक Refuse करते हैं या कोई शर्त्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।
27. आवेदक द्वारा संबंधित परिसम्पत्ति के संचालन के निमित्त रखे गये कार्मिक निगम के कार्मिक नहीं कहलायेंगे, आवेदक की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीनस्थ रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित अहर्तायें (E.P.F./E.S.I. एवं अन्य) पूरा करेंगे एवं इसकी पूरी जबावदेही आवेदक की ही होगी।

    श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन आवंटी करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जबावदेही आवंटी की होगी।

28. प्रथम पक्ष अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंटकॉरपोरेशन लि० एवं द्वितीय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद एवं मतभेद की अवस्था में सरकार के सचिव/प्रधान सचिव, पयर्टन विभाग, बिहार सरकार आरविट्रेटर होंगे। इस आरविट्रेशन की प्रक्रिया पटना में हीं संपन्न की जाएगी।
29. आवंटित परिसर में किसी प्रकार के दूर्घटनाओं की जिम्मेवारी, लाइसेंसधारी की होगी तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की वैधानिक जबाबदेही लाइसेंसधारी का होगा।
30. लाइसेंसधारी को वन एवं पर्यावरण तथा ध्वनि प्रदूषण से सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन करना होगा।
31. अनुज्ञप्ति की अवधि में उपर्युक्त कार्य को निगम हित में या राज्य सरकार हित में एक माह की नोटिस दे कर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार निगम को होगा और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई राशि का समानुपातिक भाग अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा। किसी प्रकार का Damage Claim/अन्य मान्य नहीं होगा।
32. द्वितीय पक्ष को 6 (छह) माह के नोटिश अथवा 6 (छह) माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति राशि का भुगतान कर एवं सभी बकाया राशि का भुगतान कर अनुज्ञप्ति से बाहर आने का अधिकार होगा।
33. प्रथम पक्ष अर्थात बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 लाइसेंस निर्गत होने की तिथि से लाइसेंस की पूर्ण राशि और जमानत की राशि जमा कर द्वितीय पक्ष अर्थात लाइसेंसधारी वर्णित सम्पत्ति का संचालन सुनिश्चित करेंगें।
34. प्रथम पक्ष अर्थात बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार का पत्राचार निविदा में दिये गये पते पर ही करेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा पता बदले जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को निश्चित रूप से लिखित सूचना देगी। अन्यथा इसके अभाव में "DUE COMMUNICATION" समझा जायेगा।
35. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, द्वारा निर्धारित वाहन पार्किंग शुल्क पर्यटकों/अतिथियों के वाहन से वसूला जायगा। निगम द्वारा निर्धारित वाहन पार्किंग का दर निम्न प्रकार से है :–

क्र	वाहनों का नाम	दर (प्रति दिन)
1	स्कूटर, मोटर साईकिल, ठेला	₹ 15.00
2	मारूति, कार, ओमी, इन्डिका, अल्टो, टेम्पो, विक्रम, अन्य सीडान	₹ 30.00
3	सफारी, सोमो, तवेरा, एक्सलो, बोलेरो, स्कॉरपियो, जीप, अन्य SUV	₹ 40.00
4	मीनी बस, सीटी राईड, विंगर, टोयटो, डीसीएम, टाटा–407, टाटा– 709	₹ 80.00
5	डिल्क्स बस, ट्रक	₹ 120.00

36. वाहन पार्किंग के उक्त दरों को कम से कम दो स्थानों पर जहाँ से स्वम दृष्टीगोचर हो पेन्ट करा कर बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
37. निगम के वाहनों से एवं अतिथिविष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों से पार्किंग शूल्क नहीं वसूल किया जाएगा।
38. निगम के वाहन पार्किंग क्षेत्र में खड़ी वाहनों के सुरक्षा की पूरी जबावदेही अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
39. मात्र वाहन पार्किग के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय/कार्य अथवा कोई निषिद्ध कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाएगा।
40. निगम द्वारा अनुज्ञप्ति जिस कार्य के लिए दिया जाएगा सिर्फ वहीं व्यवसाय/कार्य आप के द्वारा किया जाएगा।
41. **वाहन पार्किग एवं शौचालय ब्लॉक** के कार्य हेतु न्यूनतम बीड राशि ₹ 30.00 लाख (तीस लाख) मात्र प्रति वर्ष है।

¤¤

अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन हेतु निविदा

<u>लिफाफा नं0– I प्रपत्र 'क' (अनुभव)</u>

सम्पत्ति के आवंटन के लिये लाइसेंस हेतु

<u>आवेदन पत्र का प्रपत्रः</u>

पास पोर्ट साईज तीन फोटो

1. इकाई का नाम :
   (जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है)

2. आवेदक का नाम :
   (अनुभवी व्यक्ति / एजेंसी / फर्म इंडिभिजुअलः संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)

3. पिता का नाम :

4. वर्त्तमान एवं स्थाई पता :
   (दूरभाष सहित)

   (कृपया आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. **<u>क्रेडेंशियल्स :</u>**
   I. EMD एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य
   II. Partnership or Proprietor ship Firm/ Registered Society/ Individual / Other से सम्बन्धित कागजात
   III. आवेदक की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु मूल्यांकन प्रमाण पत्र।
   IV. पैन कार्ड की छायाप्रति, यदि हो तो।
   V. संबंधित पुलिस अधिक्षक (S.P.)/ जिलाधिकारी (D.M) या अनुमंडल पदाधिकारी (S.D.O) से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति;
   VI. आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा राशन कार्ड / चुनाव आयोग का पहचान पत्र / विद्युत विपत्र / ड्राईविंग लाइसेंस / पासपोर्ट की छायाप्रति)
   VII. विगत तीन वर्षों का अद्यतन आय–कर रिटर्न जमा की छायाप्रति वर्ष–.................................. यदि हो तो

नोट :– उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है।

6. ''अर्नेस्ट मनी'' की विवरणी : बैंक ड्राफ्ट नं0 .... दिनांक .... रकम ....

7. <u>आवेदक की अन्डरटेंकिंग :</u>
   - मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्त्तें अच्छी तरह पढ़ने / समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों / शर्त्तों के अनुसार आवंटित इकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
   - मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य / संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन हेतु निविदा
लिफाफा नं0– II प्रपत्र 'ख' (दर)

1. ईकाई का नाम (जिसके लिए आवेदन दे रहें हैं।) :–

2. आवेदक का नाम :

3.

4. पिता का नाम :

5. वर्तमान पता :

6. स्थाई पता :

   (दूरभाष संख्या सहित)

7. आवेदक द्वारा ऑफर की गई प्रथम वर्ष की लाइसेंस राशिः–

   अंकों में

   (₹____)

   शब्दों में

   (₹____)

नोटः– वाहन पार्किंग के कार्य हेतु न्यून्तम बीड राशि प्रथम वर्ष का ₹ 30.00 लाख (तीस लाख) है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।

नोट :–

1. वांछित टैक्स एवं अन्य वैधानिक कर की राशि अनुज्ञप्ति राशि पर अतिरिक्त लगेगी। यह राशि निविदादाता को देनी है।
2. प्रथम वर्ष की लाइसेंस राशि और GST की राशि पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अग्रिम भुगतान करनी होगी।
3. लाइसेंसीधारी द्वारा जमानत के रूप में द्वितीय वर्ष की राशि के समतुल्य N.S.C./ Fixed Deposit प्लेज्ड ''बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना'' के नाम पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा।
4. प्रथम वर्ष की लीज राशि पर द्वितीय वर्ष 10% (दस प्रतिशत), तृतीय वर्ष 20% (बीस प्रतिशत), चतुर्थ वर्ष 30% (तीस प्रतिशत) एवं पंचम वर्ष 40% (चालीस प्रतिशत) की वृद्धि होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर